(203) (79)

निग0 5974/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान संदस्य महोदय म0प्र0 रांजस्व मण्डल ग्वलियर सर्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

फूलचन्द्र गुप्ता तनय कामता गुप्ता निवासी ग्राम मैदानी तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ————निगरानीकर्ता

बनाम

1— जुगुल किशोर तनय श्यामलाल निवासी ग्राम पड़रिया तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

2— शिवमूरत तिवारी तनय स्वामीदीन तिवारी निवासी ग्राम पड़रा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्र0–275/अपील/अ–66/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 14.062018

अर्न्तगत धारा 50(1) म0प्र0 भू राजस्व सहिंता 1959 ई0

आवेदक अभिभाषक श्री दिवाकर त्रिपाठी द्वारा पेश 26.9.18

26.9.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण के तथ्य

1— यहकि आराजी नं0 338/2/6/1 रकवा 0.041हे0 स्थित ग्राम मैदानी के जुज भाग 15×24= 360 वर्गफिट रकवे पर अर्सा पूर्व से निगरानीकर्ता का मकान निस्तार कायम है, और निगरानीकर्ता/आवेदक के पास उक्त मकान के अलावा कही कोई मकान जमीन नही है, और निगरानीकर्ता आवेदित मकान में कई वर्षो से अनावेदक की जानकारी में शान्तिपूर्ण ढंग से सपरिवार निवासरत है, जिसके बावत आवेदक द्वारा वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के न्यायालय आवासीय

फूलचन्द्र गुप्ता

(79)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग. 1 5927/2018 जिला रीवा

फूलचन्द गुप्ता विरूद्ध जुगुल किशोर

(1)	(2)	
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री दिवाकर त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 275/अपील/अ.66/17-18 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	